Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत के ऐतिहासिक स्मारकों का सांस्कृतिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में महत्व

डॉ. मंजुला निंगवाल*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे देश की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। देश की ऐतिहासिक धरोहर विश्वभर में अपनी समृद्ध संस्कृति एवं विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक स्मारक स्थित है, जो कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति तथा स्थापत्य कौशल के प्रतीक हैं। देश में विभिन्न कालखण्ड जैसे कि मौर्य, गुप्ता, राजपूत, पल्लव, चोल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के दौरान निर्मित अनेक स्मारक आज भी सुरक्षित है। इस तरह कि स्मारकों में मंदिर, गुफा, स्तूप, मस्जिद, किले, महल तथा स्मृति भवन आदि शामिल है। ये स्मारक न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते है, बल्कि पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 2 (क) में परिभाषा है 'प्राचीन स्मारक' से कोई संरचना, रचना या स्मारक या कोई स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षो से विद्यमान हैं। किसी देश को जानना हो तो वहाँ के इतिहास की पुस्तकें पढ़िऐं और यदि उस देश को पहचानना हो तो वहाँ के विरासत स्थलों का मुआयना करिए। विरासत स्थल हमारे अतीत का वह आईना है जिसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं होता जो भी होता हैं वास्तविक होता है, किन्तु अचंभित करने वाला और दिलचस्प होता है। ऐतिहासिक स्मारक हमारी अचल संपतियां है। जिन्हें विशेष ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, धार्मिक या प्रतीकात्मक महत्व के कारण पहचाना जा सकता है। भारत सरकार के संस्कृतिक मंत्रालय का मुख्य अधिदेश प्राचीन सांस्कृति विरासत का परिरक्षण और संरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त कला और संस्कृति का संवर्धन करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भारत सरकार के एक विभाग के रूप में प्राचीन स्मारकों और अवशेषों का समुचित रूप से अध्ययन और संरक्षण करने की दृष्टि से वर्ष 1861 में की गई थी। हमारा संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग चार के अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। भारतीय संविधान (42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976) के (भाग चार) मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51क प्रत्येक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य है कि ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें।

शब्द कुंजी –स्मारक, सांस्कृतिक, पर्यटन, अधिनियम।

स्मारकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उनका महत्व – प्राचीन काल से ही स्मारक मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जो कि शक्ति, स्मृति और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, इमारत या स्मारक देश की सभ्यता व संस्कृति की परिचायक होती है। हमारे देश के गौरवमय इतिहास को जानने में इन स्मारकों का बहुत अधिक महत्व है। ऐतिहासिक स्मारकों का महत्व ऐतिहासिक स्थल हमारी सांस्कृतिक विरासत का ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सभी स्मारक ही हमारे सदियों पुरानी संस्कृति और परम्परा का भण्डार है। ऐतिहासिक स्थलों ने हमारे अतीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे आज भी हमें प्रेरित करते है। ये स्मारक देश के प्राचीन शासकों और उनके राजवंशो की एक तस्वीर प्रकट करते है। ऐतिहासिक स्थल भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे अतीत को संरक्षित करने का एक तरीका है। वे हमारी सांस्कृति विरासत के लिए एक ठोस सम्पर्क प्रदान करते है और वे उन घटनाओं और लोगों की याद दिलाते है जिन्होने हमारी विरासत को आकार दिया है। ऐतिहासिक स्थल भी पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक स्मारक हर साल लाखों आगंतुकों को अपनी और आकर्षित करते है जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पर्यटन का यह प्रवाह स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देने में मदद करता है और पर्यटन उद्योग में रोजगार का सृजन करता है। मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 2 (क) में परिभाषा है 'प्राचीन स्मारक' से तात्पर्य ऐसे किसी भी भवन, संरचना, परिनिर्माण, केवल एक पत्थर के स्तम्भ (मोनोलिथ) या स्मारक या किसी स्तूपक (माउन्ड) या समाधि स्तूप (ट्यूमूलस) या किसी समाधि भवन या शव गाड़ने के स्थान या किसी गुफा या किसी स्थावर पदार्थ पर किसी मूर्ति या अन्तर्लेख से है जो कि ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक अभिरूचि का हो और जो कम से कम पचास वर्ष से अस्तित्व में हो। ऐतिहासिक स्मारक वे भवन, किले, मंदिर, महल, गुफाएं, स्तूप, मस्जिदें तथा अन्य निर्माण है जो किसी विशेष ऐतिहासिक घटना, शासन, संस्कृति अथवा सभ्यता से जुड़े होते हैं तथा जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृति एवं पुरातात्विक महत्व होता है। ऐतिहासिक स्मारक किसी भी देश की आत्मा होती है। ये मात्र पत्थर की इमारते नहीं है,

बल्कि उस युग की कला, धर्म, सामाजिक मूल्यों और तकनीकी ज्ञान के जीवंत दस्तावेज होते है। स्मारकों का सांस्कृतिक महत्व के अन्तर्गत ये सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक, कला और वास्तुकला का प्रदर्शन, धार्मिक और दार्शनिक विचारों का दर्पण, इतिहास के प्रमाणिक स्रोत तथा पर्यटन और आजीविका का साधन है। पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारकों का महत्व अतुलनीय है। यह पर्यटन उद्योग की रीढ़ होते है। स्मारकों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इससे होटल, परिवहन, गाइड, स्थानीय हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजन होते है। ये स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते है। हमारे देश की प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में सम्राट अशोक के स्तूप, मेहरोली स्तंभ, अजंता–एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम के स्मारक, खजुराहों के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कुतुबमीनार, अलाई दरवाजा, जयस्तंभ, हम्पी के स्मारक, गोलकुंडा का किला, ग्वालियर का किला, आमेर का किला, आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, इण्डिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आदि। ऐतिहासिक स्मारक प्रत्येक व्यक्ति समूह और समाज के पास एक अत्यंत मूल्यवान विरासत होती है। इनका संरक्षण एवं जीर्णोद्धार भी उनके जीवन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के बारे में जानने और ज्ञान की प्रचुरता के साथ ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।

निष्कर्ष – ऐतिहासिक स्मारक हमे अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को उनकी पहचान का बोध कराती है। स्मारक भारत की पहचान तथा राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। स्मारकों का सांस्कृतिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में महत्व वर्तमान और भविष्य में बना रहेगा। इनके कारण भारत विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। वे भारत की विविधता, कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत परिचय देते है। इसलिए इन स्माराकों का संरक्षण, वैज्ञानिक रखरखाव तथा जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

संदर्भ ग्रंथ की सूची:–

1. डॉ. बी.एल.ग्रोवर– भारत का इतिहास
2. डॉ. राम शरण शर्मा – प्राचीन भारत
3. डॉ. सतीश चंद्र – मध्यकालीन भारत
4. Archaeological Survey of India. Annual Reports.
5. Ministry of Tourism. India Tourism Statistics.
6. प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम,1904 की धारा 2 (1) में परिभाषा है
7. प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 2 (क) में परिभाषा है
8. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 2 (क) में परिभाषा है

****